

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा, समस्तीपुर, सारण, मुंगेर, बेगुसराय, गया, गोपालगंज, पं० चम्पारण (बेतिया), पूर्वी
चम्पारण (मोतिहारी) एवं मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक-20-10-2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 12,08,57,000/- (बारह करोड़ आठ लाख सतावन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 12,08,57,000/- (बारह करोड़ आठ लाख सतावन हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ०प०उ०

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
सरकार के अपर सचिव
22/10/17

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा, समस्तीपुर, सारण, मुंगेर, बेगुसराय, गया, गोपालगंज, पं० चम्पारण (बेतिया), पूर्वी
चम्पारण (मोतिहारी) एवं मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक-

2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 12,08,57,000/- (बारह करोड़ आठ लाख संतावन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 12,08,57,000/- (बारह करोड़ आठ लाख संतावन हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ०पृ०उ०

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-02/2017 सा०-...32...../ पटना, दिनांक-20-10-2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा, समस्तीपुर, सारण, मुंगेर, बेगुसराय, गया, गोपालगंज, पं० चम्पारण (बेतिया), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन-

क्र० सं०	विषय शीर्ष	ईकाइ मद	शेखपुरा	समस्तीपुर	सारण	मुंगेर	बेगुसराय	गया	गोपालगंज	पंचसम्यारण (बेतिया)	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	मुजफ्फरपुर	कुल
1	01 01	वेतन	0	0	0	35,00,000	35,00,000	80,00,000	70,00,000	0	100,00,000	100,00,000	420,00,000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	0	0	0	60,00,000	40,00,000	160,00,000	80,00,000	0	150,00,000	150,00,000	640,00,000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	0	0	0	6,00,000	3,50,000	10,00,000	3,00,000	0	10,00,000	10,00,000	42,50,000
4	01 06	चिकित्सा भत्ता	0	0	0	0	0	0	1,00,000	0	10,000	2,00,000	3,10,000
5	01 07	अन्य भत्ता	0	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	63,000
वेतन-भत्ता का योग -			0	0	0	101,00,000	79,13,000	250,00,000	154,00,000	0	260,10,000	262,00,000	1,106,23,000
6	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50,000	0	1,09,000	0	50,000	0	0	0	0	0	2,09,000
7	13 01	कार्यालय व्यय	3,00,000	0	0	0	0	4,00,000	0	0	0	0	7,00,000
8	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	2,00,000	0	0	0	0	4,00,000	0	0	0	0	6,00,000
9	13 03	दूरभाष व्यय	0	0	0	0	0	4,00,000	0	0	0	0	4,00,000
10	13 04	विद्युत प्रभार	3,00,000	0	0	0	0	20,70,000	0	0	0	0	23,70,000
11	13 06	बर्दी/पोशाक	0	0	0	0	0	2,75,000	0	0	0	0	2,75,000
12	14 01	किराया, महसूल एवं कर	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
13	20 01	आतिथ्य व्यय	50,000	0	0	0	0	3,00,000	0	0	0	0	3,50,000
14	20 02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	0	0	0	0	0	3,00,000	0	0	0	0	3,00,000
15	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,00,000	0	0	0	0	3,00,000	0	0	0	0	4,00,000
16	28 02	सविदा सेवाएँ	5,00,000	20,00,000	0	3,00,000	5,00,000	5,00,000	154,00,000	8,00,000	0	0	46,00,000
कुल योग-			15,00,000	20,00,000	1,09,000	104,00,000	84,63,000	299,75,000	154,00,000	8,00,000	260,10,000	262,00,000	1,208,57,000

(बारह करोड़ आठ लाख सतावन हजार रूपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग